क्रमांक 7743–5 जी0 एस0 . 1–71/36993

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में

1. सभी विभागाध्यक्ष, आयुक्त, अम्बाला मण्डल,
हरियाणा के सभी उपायुक्त तथा उप मण्डल अधिकारी ।

2. रजिस्ट्रार, पंजाब एवं हरियाणा ।उच्च न्यायालय,
तथा हरियाणा के सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीश ।

दिनांक चण्डीगढ़ 28 दिसम्बर, 1981 ।

विषय :– विभागाध्यक्षों को वित्तीय एवं प्रशासकीय शक्तियां देना ।

महोदय,

मुझे निदेश हुआ है कि मैं आपका ध्यान उपर्युक्त विषय पर हरियाणा सरकार के पत्र संख्या 964–2 जी0 एस0 II–71।12773, दिनांक 29 मई, 1971 की ओर दिलाऊं जिसमें अन्य बातों के साथ साथ यह भी बताया गया है कि विभागाध्यक्ष वर्ग II के राजपत्रित अधिकारियों को लघु दण्ड देने के लिये सक्षम हैं । अब आगे यह भी निणय लिया गया है कि विभागाध्यक्ष वर्ग II के राजपत्रित अधिकारियों को चेतावनी देने तथा चेतावनी की एक प्रति सम्बद्ध अधिकारी की वैयक्तिक फाईल में लगाने के निदेश देने के लिये भी सक्षम होंगे ।

2. कृपया इस पत्र की पावती भेजिए ।

भवदीय

हस्ता:
उप सचिव, राजनैतिक एवं सेवाएं,
कृते : मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

एक एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ भेजी जाती है :–

सभी वित्तायुक्त तथा हरियाणा सरकार के सभी प्रशासकीय सचिव ।